पत्र संख्या : 7ब/2701 गैर यो०ज०सं० – 08/2017........266

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी० के० तिवारी ,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

उप समहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल,
जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक 27-02-18

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष –03– मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष –001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष –03– सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017–18में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक /001–निदेशन तथा प्रशासन	03–सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण	**15.000**

कुल आवंटित राशि – **रुपये पन्द्रह लाख मात्र**

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट उपबंध ₹ 136.52 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 ,1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पन online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन Hard copy में Acces No एवं Revoke No का आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**

15. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No/ Surrender no** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 10 मार्च 2018** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (**http://www.wrdjharkhand.nic.in)** *पर भी उपलब्ध है।*

अनु॰ :– यथोक्त

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 266 रॉची, दिनांक :– 27-02-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 266 रॉची, दिनांक :– 27-02-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के अप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(डी० के० तिवारी) अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट–I

पत्रांक 266 दिनांक 27-02-18 का अनुलग्नक

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष–03–सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017–2018		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आबंटित राशि लाख रुपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49S270103001030101	49S270103001030112	49S270103001030213	49S270103001030315	49S270103001030316	49S270103001030323	49S270103001030333	49S270103001030334	49S270103001030337	4JS270103001030442	49S270103001030760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	उप समहर्त्ता राजस्व प्रमंडल, रॉंची ।	पूर्व का आवंटन	106.42	0.10	0.125	0.30	0.20	0.30	0.075	0.00	0.05	0.40	0.10	**108.07**	
		अतिरिक्त आवंटन	**15.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**15.000**	
		कुल आवंटन	121.42	0.10	0.125	0.30	0.20	0.30	0.075	0.00	0.05	0.40	0.10	**123.070**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	

अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये पन्द्रह लाख मात्र

राजेन्द्र प्रसाद	(रमेश कुमार दूबे) 27/02/18	(डी० के० तिवारी)
उप सचिव (अभि०)	विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव